राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः डीसी/17/P-1 दिनांक :

<u>परिपत्र</u>

प्रायः देखने में आया है कि नकली दवा की जानकारी आने पर जब विभाग द्वारा कार्यवाही आरम्भ की जाती है तो दवा विक्रेताओं के द्वारा सजग हो जाने के कारण अपने स्तर पर उक्त नकली दवाओं को औषधि निर्माताओं/सप्लायरों को वापस करने के प्रयास किये जाते हैं जिससे कि उस दवा विक्रेता के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सम्पादित नहीं हो पाती है।

अतः भविष्य में निर्देश दिये जाते हैं कि नकली दवा की जानकारी आने पर संबंधित जिलों के औषधि नियंत्रण अधिकारी तुरन्त नकली दवा पर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। यदि नकली दवा के स्टॉक को संबंधित विक्रेता द्वारा वापस भिजवाने की कार्यवाही/ खुदबुर्द की जानकारी संगठन को प्राप्त होती है तो संबंधित जिले के सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि नियंत्रण अधिकारी सुनिश्चित करें कि ऐसे विक्रेता किसी भी प्रकार का लाभ न उठा पायें।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिये संबंधित सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि नियंत्रण अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

Sd/-
(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

D.NO.: 130
27/02/2017

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज0, जयपुर।
2. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान को पालनार्थ।
3. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
4. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

D:\ADC's\Letter-2014.docx